बिहार में पिछड़ा वर्ग आन्दोलन के आरम्भिक नेता

Free E-Book

संतोष कश्यप

66वीं B.P.S.C. मुख्य परीक्षा

www.biharnaman.in

BIHAR NAMAN PUBLISHING HOUSE
New Delhi- 84

"मैं अपने जीवन में ही दलित पिछड़ा वर्ग राज देखूंगा"-

आर. एल. चंदापुरी

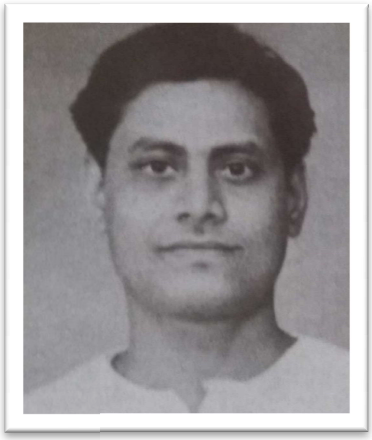

'बिहार की धरती हमेशा से भारत की राजनीतिक प्रयोगशाला रही है। आधुनिक समय में इसके दो कारण दृष्टिगत होते हैं। पहला- वैशाली में दुनिया के पहले गणराज्यों में से एक की स्थापना हुई थी, जिसकी बुनियाद लोकतांत्रिक व्यवस्था पर राखी गयी थी। दूसरा- गांधीजी का चंपारण सत्याग्रह, जिसके बिना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अद्भुत और वीरता भरी कहानी अधूरी है। यहां प्रयोग किया गया सत्याग्रह देश की आजादी का कारण सर्वप्रमुख कारण बना।'

जीवन परिचय

राम लखन चंदापुरी भारतीय समाज के सभी दलित, पिछड़े, धर्म परिवर्तित लोगों और अल्पसंख्यकों को पिछड़ा मानते थे। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन के साथ ही ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ राष्ट्रव्यापी पिछड़ा वर्ग आंदोलन छेड़ा था। वास्तव में यह पिछड़ों का मुक्ति संग्राम था, जो अनेक घात-प्रतिघातों के बावजूद तब से लेकर आजतक देश के सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तन की दिशा का निर्धारण कर रहा है।

राम लखन चंदापुरी का जन्म 20 नवंबर, 1923 को पटना जिले के बसुहार गांव में हुआ था। उनके माता-पिता कुर्मी जाति के किसान थे। पिता का नाम महावीर सिंह एवं माता का नाम हीरामणि कुंवर था। चंदापुरी जी जब नौवीं कक्षा में थे तभी उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के छात्र आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया था। 1946 में नौआखाली दंगे(वर्तमान में बांग्लादेश का एक जिला) के दौरान मुस्लिम समुदाय को बचाने में चंदापुरी ने अदम्य साहस का परिचय दिया था। इसलिए 1947 में 'शांति मिशन' के सिलसिले में जब महात्मा गांधी मसौढ़ी आए, तो उन्होंने चंदापुरी की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी।

'अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ'

पिछड़े वर्गों के प्रति उच्च जातियों के अपमानपूर्ण व्यवहारों (जैसे-पिछड़े वर्ग के लोगों को उच्च जातियों के यहां खाट आदि पर बैठना मना था। अपने घर या चौपालों पर रहते हुए भी उन्हें जब-तब उच्च जातियों के लोगों को देखकर उनके आतंकपूर्ण सम्मान में उठ खड़ा होना पड़ता था, आदि) ने शिक्षित युवक चंदापुरी को अंदर से विचलित कर दिया। इसलिए उन्होंने पिछड़े वर्ग के कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ मिलकर 10 सितम्बर 1947 को 'बिहार प्रांतीय पिछड़ी जाति संघ' की स्थापना की, जो बाद में 'अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ' के रूप में एक राष्ट्रव्यापी संगठन बन गया और इसकी शाखाएं प्राय: हर प्रांत में फैल गई।

चंदापुरीजी अपने 'पिछड़ा वर्ग संघ' के बैनर तले संविधान निर्माण के समय से ही संविधान में पिछड़ों के लिए विशेष अवसर और आरक्षण संबंधी धारा 340 जुड़वाने, देश में 'पिछड़ा वर्ग आयोग' के गठन, उसकी सिफारिशों को देश में लागू करवाने एवं बिहार में पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिलवाने के लिए आंदोलनात्मक

प्रयास करते रहे। बिहार में पिछड़ों के आरक्षण के लिए वे 1952 से ही प्रयत्नशील थे। 1977 में उनके उग्र आंदोलन के कारण ही बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में ओबीसी आरक्षण लागू किया। चंदापुरी ने जीवनभर समाज के लिए काम किया। वे जनता के बीच जाकर चुनाव द्वारा विधायिका और सरकार में जाना चाहते थे, किन्तु इस कार्य में उन्हें सफलता नहीं मिली।

विद्वान प्रो. फ्रेंकाइन आर फ्रेंकेल की पुस्तक डोमीनेंस एंड स्टेट पॉवर इन माडर्न इंडिया : डिक्लाइन ऑफ ए सोशल आर्डरश् के अनुसार 'बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग संघ' के कार्यकारी अध्यक्ष आर.एल. चंदापुरी ने संघ के उद्देश्यों और कार्यक्रमों की वृहत् रूप से व्याख्या की। उन्होंने 1949 में 'पिछड़ा वर्ग' नामक हिन्दी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। उसमें प्रकाशित उनके भाषणों एवं लेखों से गांवों में बसनेवाली पिछड़ी जातियां जागृत होने लगीं। चंदापुरी ने 1949 में लिखा, 'जब कभी भारत में क्रांति का उद्भव होगा तो उसका नेतृत्व पिछड़ी जाति के लोग और पददलित ही करेंगे।'

शिक्षा

उन्होंने स्नातक और कानून की डिग्रियां हासिल की थीं। चंदापुरी को अमेरिका के न्यूयार्क विश्वविद्यालय से लोक प्रशासन में एमए और पीएचडी करने का आमंत्रण और सरकारी सुविधा संबंधी पत्र मिला। लेकिन वे किसी कारणवश अमेरिका नहीं जा सके।

संघर्ष यात्रा

बिहार में बहुसंख्यक वंचितों का संघर्ष ही वह स्थिति है जो बिहार को देश में अलग पहचान दिलाती है। इसमें 1930 के दशक में शुरू हुआ त्रिवेणी संघ आंदोलन प्रमुख है जिसने बिहार के दलितों और पिछड़ों को एक मंच पर लाकर शासक वर्ग (अगड़ी जाति की सत्ता के विरुद्ध) के विरुद्ध खड़ा कर दिया। लेकिन यह आंदोलन अपने राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रहा क्योंकि इसका कोई लक्षित उद्देश्य नहीं था। इस आन्दोलन के संस्थापक सरदार जगदेव सिंह यादव, शिवपूजन सिंह और जे. एन. पी. मेहता आदि ने जो सपना देखा था, वह पूरा न हो सका। हालांकि इस आंदोलन के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव को वर्तमान समय में भी महसूस किया जा सकता है।

जिन दिनों बिहार में त्रिवेणी संघ को राजनीतिक मोर्चे पर प्रसिद्धि मिल रही थी, उस समय रामलखन चंदापुरी किशोर थे। आगे चलकर उन्होंने पिछड़ा वर्ग आंदोलन चलाया, जिसका उद्देश्य ही बहुसंख्यक वर्ग के हितों को लेकर आवाज बुलंद करना था। इस संबंध में 1949 में चंदापुरी ने कहा था, *"जब कभी भारत में क्रांति का उद्घोष होगा तो उसका नेतृत्व पिछड़ी जाति के लोग ही करेंगे।"* वे अपने "पिछड़ा वर्ग संघ" के बैनर तले संविधान निर्माण के समय से ही संविधान में पिछड़ों के लिए विशेष अवसर और आरक्षण संबंधी धारा 340 जुड़वाने, देश में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन, उसकी सिफारिशों को देश में लागू करवाने एवं बिहार में पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिलवाने के लिए आंदोलनात्मक प्रयास करते रहे। इसके लिए वे संविधान सभा के सदस्यों और इसके निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर के संपर्क में भी बराबर रहे। वे चाहते थे कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी दलित चेतना जागृत हो। इसी मकसद से उन्होंने डॉ. आंबेडकर से पटना आने का अनुरोध किया और डॉ. आंबेडकर युवा आर. एल. चंदापुरी के अनुरोध को नहीं ठुकरा सके। आर. एल. चंदापुरी के आग्रह पर डॉ. आंबेडकर 6 नवंबर, 1951 को पटना पहुंचे। कुछ समय बाद जब डॉ. आंबेडकर पिछड़ी जाति के एक कार्यक्रम

को संबोधित कर रहे थे तब सामंती ताकतों ने उनका हिंसात्मक विरोध किया, तब चंदापुरी ने आगे बढ़कर उनकी रक्षा की।

अम्बेडकर के साथ आर. एल. चंदापुरी

आर. एल. चंदापुरी की इस जीवन संघर्ष को बताने का उद्देश्य उन घटनाओं को उद्धृत करना है जिनके कारण उनके मन में बहुसंख्यक वर्ग पर होने वाले अत्याचार, शोषण और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करने का विचार आया। इस संबंध में आर. एल. चंदापुरी ने 1996 में प्रकाशित अपनी किताब *"भारत में ब्राह्मण राज और पिछड़ा वर्ग आंदोलन"* में विस्तार से बताया है। अपने विचारों के प्रति उनकी दृढता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि अपनी किताब के समर्मण पृष्ठ पर उन्होंने लिखा है – ***"समर्पित उनको, जो सामाजिक न्याय एवं अवैदिक व्यवस्था के पुनर्स्थापन के लिए मरे और जूझ रहे हैं"।***

जातिय एहसास की घटना

घटना संख्य-1: पहली घटना जिसने उन्हें इस बात का एहसास कराया कि वे उस जाति से नहीं हैं जो समाज में सम्मान पाती है, तब हुई जब वे महज सात वर्ष के थे। उनके मुताबिक, "जब मेरी उम्र करीब 7 वर्ष की थी, मेरे वयोवृद्ध पितामह (दादा) रामरूच महतो एक खटोली पर अपने गांव चंदापुर से मसौढ़ी (मसौढ़ी, पटना जिले का दक्षिणी इलाका है जहां बहुसंख्यक आबादी दलित व पिछड़े समाज की रही है और आज भी इनकी संख्या बहुसंख्यक है) जा रहे थे। मैं भी उनके साथ खटोली में था। उस समय पटना-गया रेलवे लाईन पर मसौढ़ी एक ग्रामीण बाजार था, जहां रेलगाड़ियां ठहरा करती थीं। खटोली के विपरीत दिशा से हाथी पर सवार एक रोबदार व्यक्ति आ रहा था। उसे देखते ही मेरे पितामह खटोली से उतर गए। उस व्यक्ति ने पूछा कि खटोली में बैठा बालक कौन है? मेरे पितामह ने कहा – यह बालक मेरा पोता है। यह कहते हुए उन्होंने मुझे भी खटोली से उतार दिया। हाथी के आगे बढ़ते ही मेरे पितामह ने मुझे खटोली पर बिठाया और मसौढ़ी में अपना कार्य पूरा कर गांव वापस लौट गए। मैं एक बालक था फिर भी उस घटना के प्रति मुझमें जिज्ञासा

उत्पन्न हुई। मैंने अपने पितामह से पूछा कि हाथी पर सवार व्यक्ति को देखते ही आपको और मुझे खटोली से नीचे क्यों उतर जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि हाथी पर सवार व्यक्ति जमींदार है और उच्च जाति का भूमिहार-ब्राह्मण है। मैं उसके सामने खटोली पर बैठकर आना-जाना नहीं कर सकता हूं। मैंने सोचा कि इलाके भर में मेरे पितामह सबसे योग्य व्यक्ति हैं। इलाके के सभी रामायणी उनके शिष्य हैं, फिर वे छोटे कैसे हो गए?"

घटना संख्य-2: दूसरी घटना का जिक्र करते हुए चंदापुरी लिखते हैं कि "सन् 1934 में मैं मसौढ़ी के अपर प्राइमरी स्कूल में पांचवीं कक्षा का छात्र था। मेरे सहपाठियों में यादव जाति का एक छात्र था। पढ़ने में उसकी गति मंद थी। स्कूल के प्रधानाध्यापक निर्धिन्न सिंह भूमिहार ब्राह्मण जाति के थे। वे उस छात्र से यह कहकर कि यादव जाति के माथे में गोबर भरा रहता है, बहुत मारपीट करते थे और उसे कांटों पर मुंगली देकर घंटों सुला देते थे। कभी-कभी रात भर स्कूल के एक कमरे में लंगोटी पहनाकर वे उसे बंद कर दिया करते थे। इस दर्दनाक घटना से मैं मर्माहत हो जाता, किन्तु प्रधानाध्यपक को उस छात्र पर कुछ भी दया नहीं आती थी। अंत में उस छात्र को पढ़ाई ही छोड़ देनी पड़ी। उस समय मैंने सोचा था कि यदि वह छात्र यादव जाति का न होकर भूमिहार होता तो क्या उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाता?"

घटना संख्य-3: एक तीसरी घटना का जिक्र करते हुए चंदापुरी ने लिखा है कि "जब सन् 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय पुलिस मेरा पीछा कर रही थी और मैं आजादी का दीवाना बना गांव-गांव भागा फिर रहा था। तब वीर गांव के नजदीक जो पटना जिला में है, मुझे मुसहरों (बिहार में दलित वर्ग की एक जाति) ने अपने यहां छिपाया था। मैंने तभी समझा कि हरिजन, आदिवासी, किसान और मजदूर ही सच्चे देशभक्त हैं और थोड़े से ब्राह्मण और सवर्ण जाति के लोग सत्ता और नेतागिरी के लिए ही आजादी के संग्राम में शामिल हैं। मैं उस समय इलाके में घोड़े के टाप वाला के नाम से जाना जाता था, क्योंकि पुलिस की पकड़ से बचने के लिए मैं घोड़े की चाल से भागता था।"

भारत में बहुसंख्यकों की मेधा को कैसे खारिज किया जाता था, इसका उदाहरण चंदापुरी ने अपने साथ हुई एक घटना से दिया है। वे लिखते हैं कि- "सन् 1947 में पिताजी के जोर डालने पर मैंने डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन में साक्षात्कार दिया था। साक्षात्कार रांची (झारखण्ड की राजधानी) में था। कमीशन के सदस्य रजनधारी सिंह ने मुझसे प्रथम प्रश्न किया, आप किस जाति के हैं? मैंने उत्तर दिया कि मैं अवधिया कुर्मी जाति का हूं। मेरे पहनावे और हाव-भाव को देखकर उन्होंने अंदाजा लगाया था कि मैं भूमिहार ब्राह्मण हूँ। उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि यदि आपको डिप्टी मजिस्ट्रेट बना दिया गया तो आप क्या करेंगे? मैंने जवाब दिया कि मैं अपने पद के उत्तरदायित्व को निभाने का प्रयत्न करूंगा। जनता की सेवा करने के साथ सबके प्रति एक समान बर्ताव और न्याय करूंगा। उन्होंने तीसरा प्रश्न किया था कि क्या आप प्रतिदिन मंदिर जाते हैं और भगवान राम, कृष्ण, हनुमान आदि देवताओं का दर्शन कर उनसे आशीर्वाद मांगते हैं? उत्तर में मैंने कहा था कि मैं मंदिर नहीं जाता हूं और पत्थर अथवा मिट्टी की मूर्तियों से आशीर्वाद नहीं मांगता हूं। इस पर कमीशन के दूसरे सदस्य मुझे अधिक बोलने से रोकने लगे। लेकिन मैं कैसे रूक सकता था..? मुझे प्रश्नों का उत्तर तो देना ही था। डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद के लिए मेरा चयन नहीं हुआ। लेकिन इसके लिए मुझे कुछ भी खेद नहीं था। बिहार के मुख्यमंत्री डॉ. श्रीकृष्ण सिंह, रजनधारी सिंह तथा कमीशन के सभी सदस्य ब्राह्मण ही थे।"

अपने संस्मरण में चंदापुरी लिखते हैं कि "देश में हुए सांप्रदायिक दंगे के बाद शांति मिशन के साथ महात्मा गांधी सन् 1947 में बिहार प्रांत के भीषण दंगाग्रस्त क्षेत्र मसौढ़ी आए थे तो उन्हें इस बात से हैरानी

हुई थी कि वहां के मुसलमानों ने मेरे जैसे एक नवयुवक पर एकमत से विश्वास प्रकट किया और सवर्ण नेताओं पर दंगा भड़काने का आरोप लगाया था। इस पर गांधीजी ने मेरी काफी प्रशंसा की थी और कुछ दिनों के लिए शाहनवाज खान के आने तक मुझे पुनर्वास के कार्य का उत्तरदायित्व सौंपा था। गांधीजी कट्टर हिंदू थे और उन्हें वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा में विश्वास था। किन्तु, मसौढ़ी की घटना के बाद उनके हृदय में परिवर्तन शुरू हो गया था। लेकिन तब तक पंडित नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बनाकर वह देश का इतना बड़ा अहित कर चुके थे कि दलितों, शोषितों और पिछड़ों द्वारा सब प्रकार की कुर्बानी और त्याग किए जाने के बाद भी आज तक देश की स्थिति में किसी प्रकार का सुधार आना संभव नहीं हुआ है। मसौढ़ी की घटना के थोड़े दिनों के बाद ही गांधीजी ने देश में सच्चे सुराज(स्वराज) के लिए एक किसान को प्रधानमंत्री तथा हरिजन की एक पुत्री को राष्ट्रपति बनाए जाने को लेकर अपने भाषण में बल दिया था। एक 'यशस्वी' ब्राह्मण युवक ने उनकी हत्या कर दी थी। ब्राह्मण समाज किसी शूद्र को तभी तक प्रचार द्वारा कागजी नेता बनाकर और पद देकर इस्तेमाल करता है जब तक वह उसके हित से बंधा रहता है।"

खैर, ये वे चंद घटनाएं हैं जिनका आर. एल. चंदापुरी के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ा वर्ग आंदोलन खड़ा किया। उनके बारे में आस्ट्रेलियाई विद्वान डॉ. स्टीफेन हेन्निंघम ने टिप्पणी की है कि – *"आर. एल. चंदापुरी द्वारा संचालित दलित-पिछड़े समाज का मुक्ति-आंदोलन केवल सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीतिक उथल-पुथल नहीं है बल्कि यह विश्व-आंदोलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य विश्व-बंधुत्व, भाईचारा, बराबरी एवं सामाजिक न्याय की स्थापना के माध्यम से एक उच्चतम मानव-संस्कृति का सृजन करना है।"* स्टीफेन हेन्निंघम ने आगे कहा है कि *"जिस प्रकार कार्ल मार्क्स और साम्यवाद एक-दूसरे के पर्यायवाची हैं, उसी प्रकार त्यागमूर्ति आर. एल. चंदापुरी और पिछड़ा वर्ग आंदोलन एक-दूसरे के पर्याय हैं। इस महापुरुष ने एक नए भारत की नई खोज की और शूद्रों की प्रबल रचनात्मक शक्तियों का पुनराविष्कार कर भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। इन पर कई बार जानलेवा हमले हुए परंतु गंभीर रूप से जख्मी होने पर भी वे मौत को पराजित करते रहे और मानव समाज में सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए ऊंच-नीच की भावना को खत्म कर मानव-मानव में प्रेम और भाईचारा स्थापित करने की कोशिश करते रहे।"*

निधन

आर. एल. चंदापुरी का निधन 81 वर्ष की उम्र में 2004 में हो गया।

बिहार के व्यक्तित्व

राम लखन चंदापुरी